न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16/2021	07.04.2021	09.11.2021

अनवान

1. हिरालाल पिता मोतीलाल जाति लोहार उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबरू पिता कालु जाति कीर उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. लाल पिता रूपा जाति कीर उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भैरूलाल पिता दल्ला जाति कीर उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. चुन्नीलाल पिता दल्ला जाति कीर उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. हजारी पिता भागु जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी — प्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 07.04.2021 को प्रस्तुत किया । वकील प्रार्थी आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी [illegible] हुए। हाजिर वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत निवेदन [illegible] स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थर[illegible] का है जिसमें खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन [illegible] वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपा[illegible] मे स्थित आराजी [illegible] 180, 408/166 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, तथा अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 180, 408/166 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested